न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

रामकरण बनाम गोपाल

किस्म मुकदमा [illegible] मु. नं0 57 वर्ष 2023

दिनांक	आज्ञा पत्र	
05.09.2023	अपील दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील अपीलांट को सुना गया। वकील अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने एकतरफा स्थगन आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन आदेश में आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना के निर्देश दिये है। एक साल के उपरांत भी इन निर्देशो की पालना नहीं की गई है। विचारण न्यायालय ने रिकार्डेड खातेदार को सुने बिना स्थगन आदेश पारित किया है। इस आदेश की कियान्विति स्थगित की जाये। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विचारण न्यायालय की सम्पूर्ण आदेशिका का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने एकतरफा स्थगन आदेश पारित किया है यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध के विरूद्ध एकपक्षीय स्थगन जारी किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन आदेश में आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना के निर्देश दिये है। एक साल के उपरांत भी इन निर्देशो की पालना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर मुख्यालय सीकर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 45/2022 उनवान गोपाल बनाम परमेश्वर में पारित अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 23.06.2022 की पालना (कियान्विति) स्थगित की जाती है। रेस्पोडेन्ट के नोटिस जारी हो। तहत का रिकार्ड तलब हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 20.10.2023 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	नि. पर्ची - 2896 08.9.23 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व [illegible] सीकर
20.10.23	पत्रावली पेश। प्रकरण में रेस्पोडेंटस के नोटिस तामील होकर नहीं आये। वास्ते इंतजार तामील दिनांक 14.12.23 को पेश हो।	
14/12/23	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 1.3.24 को पेश हो।	

1/3/23 पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने [illegible] न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 4.6.24 को पेश हो।

4.6.24 पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलांट / रेस्पो० उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज अवकाश पर हैं। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 31.7.24 को पेश हो।

पत्रावली पेश। प्रकरण में रेस्पोडेंट की तामील शेष है। इस हेतु अपीलांट शेष रेस्पोडेंट के रजिस्टर्डड नोटिस अग्रिम ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। ताकि अपील का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जा सके। पत्रावली वास्ते तलबी रिकार्ड दिनांक.................. को पेश हो।

31.7.24 पत्रावली पेश। वकील अपीलांट को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलांट ने रेस्पोडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलांट अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलांट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नक्कर्ड कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।